Centre for Science and Environment

प्रेस प्रकाशनी

मिनी–ग्रिड्स बिहार में बिजली के उपयोग की गंभीर समस्या का समाधान हो सकता है

- **देश में बिजली की कमी को दूर करने की दिशा में मिनी–ग्रिड की भूमिका पर चर्चा करने हेतु नई दिल्ली के सेन्टर फॉर साइन्स एंड एनवायरमेंट (सीएसई) संस्था ने 'सस्टेनेबल मिनी–ग्रिड फॉर एनर्जी एक्सेस' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन पटना में किया।**
- **साल 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी 8 करोड़ से अधिक परिवार बिजली से वंचित हैं जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ अकेले बिहार राज्य में निवासरत हैं।**
- **एक ऐसे मॉडल को प्रस्तावित किया गया है जिससे प्रत्येक परिवार को रोजाना कम से कम 12 घंटे की बिजली सुनिश्चित की जा सकेगी।**
- **सीएसई यह सिफारिश करता है कि यह सही समय है कि मिनी–ग्रिड परियोजनाओं को विश्वसनीय और निवेशक अनुकूल बनाया जाए और साथ ही इसे टिकाऊ बनाने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की दिशा में कदम उठाया जाए।**

पटना, मई 30, 2014: पिछले कई दशकों से ग्रामीण भारत में बिजली का उपयोग सरकार के लिए विकास की प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। आज भी 45 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों बिजली की सुविधा से वंचित हैं, भले ही इसके उत्पादन की मात्रा में वर्ष 2002 और 2003 के दौरान 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हो। 18 प्रतिशत बिजली की उपलब्धता दर के साथ बिहार राज्य पूरे देश में सबसे निचले स्तर पर है, और यहां 82 प्रतिशत से अधिक लोग प्रकाश के लिए आज भी केरोसीन का उपयोग करते हैं। यहां तक कि वे लोग जो ग्रिड से जुड़े लोगों को भी कोई राहत नहीं हैं जैसे कि ग्रिड पॉवर बहुत मुश्किल से ही उपलब्ध है।

बिजली की इस समस्या के लिए नवीनीकृत ऊर्जा आधारित मिनी–ग्रिड्स मापनीय और स्थायी समाधान के रूप में उभरकर आया है। लेकिन देश में अभी तक विकसित किए गए मिनी–ग्रिड्स भी इनकी उच्च पूंजी और परिचालनगत लागतों, उच्च कीमतों और असंगत राजस्व एकत्रण, गांवों में न्यूनतम मांग, तथा अधिकारियों की ओर से देरी इत्यादि, के कारण भयंकर चुनौतियां झेल रहे हैं।

नई दिल्ली आधारित नीति अनुसंधान और पक्षसमर्थन संस्था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर इस विषय पर चर्चा की कि इन चुनौतियों के समाधान के लिए किस प्रकार टिकाऊ मिनी–ग्रिड्स को तैयार किए जाएं। इन परिचर्चाओं में नीति सुधार पर सीएसई की सिफारिशें और एक मिनी–ग्रिड पेशेवर मॉडल को शामिल किया गया, जिस पर कई हितधारकों ने इसकी आगामी रणनीति और भावी संभावनाओं पर अपने बहुमूल्य विचार प्रदान किए।

वर्तमान में मिनी ग्रिड की परिभाषा दृश्य में अस्पष्ट है। सीएसई ने मिनी ग्रिड की स्पष्ट परिभाषा की बात पर बल दिया और तदनुसार नीतियों और नियमों को विकसित करने और एक टिकाऊ मॉडल बनाने के क्रम में यह परिभाषित किया।

मिनी–ग्रिड्स के लिए शुल्क प्रणाली

''मिनी–ग्रिड्स के माध्यम से बिजली की उपलब्धता को वास्तविक रूप देने के लिए, हमें साधारण पर एक मजबूत मॉडल की जरूरत है जिससे कि ग्रामीणों को अधिक से अधिक समय के लिए विश्वसनीय तौर पर बिजली मिल सके।'' **नयनज्योति गोस्वामी कार्यक्रम निदेशक ने कहा।**

सीएसई द्वारा सुझाए गए नीतिगत परिवर्तनों के अलावा, यह भी प्रस्तावित किया गया कि मिनी–ग्रिड्स के परिचालनों को टिकाऊ बनाने के लिए एक पेशेवर मॉडल तैयार किया जाए।

सीएसई द्वारा ऊर्जा से वंचित समुदाय को दो वर्गों में बांटा गया है:

– ग्रिड से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र (जहां प्रतिदिन कम से कम 12 घंटे की बिजली नहीं मिल रही हो)

और

– दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र और छोटी बसाहटें जो ग्रिड से जुड़े नहीं हैं।

ग्रिड से जुड़े गांवों में, मिनी–ग्रिड को मुख्य ग्रिड के साथ ही बनाए रखना होगा, ताकि ग्रामीणों को विश्वसनीय तौर पर उनकी मांग पर बिजली मिल सके। ऐसी परिस्थितियों में मिनी–ग्रिड्स डिसकॉम या विद्युत आपूर्तिकर्ता की एक फ्रेन्चाइज़ी के तौर पर कार्य करेगा। रिवर्स बिडिंग का उपयोग करते हुए, कम से कम 12 घंटे की बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा आधारित इन मिनी–ग्रिड्स को गांवों के एक क्लस्टर के लिए स्थापित किया जाएगा। इसे विकसित करने वाले को फीड–इन–टैरिफ (एफआईटी) प्राप्त होगा और ग्रामीण अपने द्वारा उपयोग की गई बिजली के लिए एक न्यूनतम दर अदा करेंगे। तकनीकी के चयन के विकल्प को इसे विकसित करने वाले पर छोड़ा जा सकता है। मंशा यह है कि ऐसे मेगा–वॉट् क्षमता की मिनी–ग्रिड को विकसित किया जाए जो जेनेरेटर के तौर पर कारगर उपाय हो। यह आधिक्य विद्युत को राष्ट्रीय ग्रिड में वापस प्रेषित कर सकता है।

सामान्य परस्थितियों में दूरदराज के गांव डिसकॉम के वितरण के दायरे में नहीं आएंगे। सृजित की गई यूनिटों की संख्या या पूंजीगत सब्सिडी के आधार पर विद्युत सृजन आधारित प्रोत्साहन को सीएसई द्वारा सुझाया गया है।

इस पर अधिक जानकारी के लिए, अरूणा (सीएसई) से k_aruna@cseindia.org/+919818084477 पर संपर्क करें